फर्द अहकाम

अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर

मोहम्मदखॉ पुत्र सिदूखॉ वगैराह बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व अपील को रेस्टोर किये जाने। प्रकरण संख्या 02/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.09.2025	प्रार्थी की ओर से उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थनापत्र दिनांक 06.03.2024 को न्यायालय हाजा के द्वारा राजस्व अपील संख्या 205/2017 अनवान मोहम्मद खॉ पुत्र सिदूखॉ वगैराह बनाम राज0 सरकार को दिनांक 14.02.2024 को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज कर दिये जाने, पर अपील को रेस्टोर किये जाने बाबत पेश किया गया है। उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया गया तथा न्यायालय हाजा की मूल अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया है कि प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.2024 जो कि अपील अदम हाजरी/अदम पैरवी में दिनांक 14.02.2024 को खारिज कर दिये जाने के उपरान्त प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रार्थना पत्र निर्धारित मियाद अवधि एक माह के भीतर प्रस्तुत किया गया है। मूल अपील के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अपील प्रकरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.05.2017 को चुनौती दी गई है और यह अपील वर्ष 2017 से लम्बित चल रही थी एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.5.2017 से वर्तमान प्रार्थी/अपीलान्ट व्यथित पक्षकार होना प्रकट है। ऐसे में अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण अपीलान्ट की अपील को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किये जाने के कारण पक्षकारान के हितों को अनदेखा किया जाना न्यायोचित नहीं होगा। अतः प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत किये गये रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा मूल अपील पत्रावली को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र बाद निर्णय दर्ज रजिस्टर नम्बर से कम किया जावें। सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर	

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर